कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

पत्रांक :- 138/ 43/ निर्माण/ न.पा.प.फ. (2017-18) दिनांक :- 15.04.2017

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद फतेहपुर में वर्ष 2016-17 में समस्त पंजीकृत (उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग में) ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क एवं ग्रीन स्पेस योजना हेतु दिनांक 08.05.17 को अपरान्ह 3:00 बजे तक सील बन्द निविदायें टेक्निकल/ फाईनेनशियल आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 4:30 बजे निविदादाताओं/ प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपर जिलाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें टेक्निकल बिड क्वालीफाई करने वाले निविदादाताओं को ही फाइनेनशियल बिड प्रतिस्पर्धा में शामिल किया जायेगा।

निविदा (टेक्निकल बिड एवं फाइनेनशियल बिड) दिनांक 06.05.17 को अपरान्ह 3:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ 2% धरोहर राशि NSC/ FDR/ बैंक गारन्टी पत्र जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फतेहपुर के पक्ष में बन्धक हो मूल रुप में संलग्न करना अनिवार्य है। कार्ययोजना से संबंधित किसी भी जानकारी/ शर्त आदि को किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य योजना का नाम	स्वीकृत लागत		धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य (5%) व्यापार कर	कार्य की अवधि	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी
		योजना	O & M				
1.	हिकमत उल्ला पार्क का निर्माण कार्य।	40.50 लाख	6.50 लाख	0.94 लाख	1000+ वैट	6 माह	
2.	गांधी पार्क का निर्माण कार्य।	6.99 लाख	0.96 लाख	0.16 लाख	1000+ वैट	6 माह	
3.	महाराणा पार्क का निर्माण कार्य।	16.24 लाख	1.92 लाख	0.37 लाख	1000+ वैट	6 माह	
4.	ज्ञान मन्दिर के सामने अशोक कुमार पार्क का निर्माण कार्य।	9.25 लाख	1.00 लाख	0.21 लाख	1000+ वैट	6माह	

* **अन्य शर्ते निम्नवत रहेंगी।**

1. कार्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त घटक जैसे-
   - सिविल वर्क
   - होर्टिकल्चर एवं लैण्डस्केपिंग
   - चाइल्ड प्ले ऐरिया डेवलपमेंट
   - बेन्च डस्टबिन
   - सोलर लाईट/हाई मास्ट एवं स्ट्रीट पार्क लाइटिंग
   - फाउन्टेन
   - पेयजल व्यवस्था आदि।

   कार्य करने हेतु निविदा दाताओं को अनुभवी/तकनीकी स्टाफ रखना अनिवार्य है।
2. निविदादाताओं को कार्ययोजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ उसके अगले 5 वर्षों तक का रख-रखाव करना अनिवार्य है। जिसमें जमानत धनराशि रख-रखाव अवधि बीतने के पश्चात रिलीज की जायेगी।
3. निविदा स्वीकृत होने की सूचना राज्य स्तर पर गठित तकनीकी समिति की स्वीकृति मिलने के उपरान्त दी जायेगी। स्वीकृतोपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
4. सशर्त टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर, श्रमकर, रायल्टी आदि की कटौती की जायेगी।
6. टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक बान्ड/शपथ पत्र भी देना होगा।
7. टेण्डर को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को होगा।
8. टेण्डर के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एन.एस.सी./राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं ठेकेदार के पास उपलब्ध धरोहर धनराशि के अनुसार ही टेण्डर निर्गत किये जायेंगे।
9. टेण्डर फार्म पर टेण्डर रेट (दरें) प्रतिशत आधार पर स्पष्ट अंकित होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
10. सी.सी. निर्माण कार्य में बाइब्रेटर चलाना आवश्यक होगा।
11. शासनादेश अनुसार टेण्डर के साथ रु. 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्व-घोषणा पत्र, शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
13. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तीन दिन के अंदर निर्धारित स्टाम्प पर अनुबंध करना एवं लेबर सेस में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

(चन्द्र प्रकाश लोधी, एडवोकेट)
अध्यक्ष
नगर पालिका, परिषद, फतेहपुर

(श्रीमती रश्मि भारती)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, परिषद, फतेहपुर

R-2017078114